

अनुदान संख्या 56 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण
GRANT No. 56 - TRANSFERS TO UNION TERRITORY GOVERNMENTS

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)				
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत -	Voted-	2058,29,00	1416,38,74	-641,90,26
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			571,07,00
पूंजीगत:	Capital :			
स्वीकृत -	Voted-	72,00,00	72,00,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"			
संघ राज्य क्षेत्र की	Grants-in-aid to Union			
सरकारों को अनुदान	Territory Governments			
मू.	O.	205829.00		
			148722.00	-7083.26
पु.	R.	-57107.00		

(I) ₹300.00 लाख का प्रावधान "योजनेतर अनुदान - अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम - अन्य कार्यक्रम - 1984 के दंगों में मृत, घायल, रिहायशी सम्पत्ति को नुकसान के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा" के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार से दावा प्राप्त न होने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹300.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under "Non-Plan Grants-Other Social Security and Welfare Programmes - Other Programme - Enhanced compensation for death, injury, damage to residential property in 1984 riots"- due to non-receipt of claim from Government of National Capital Territory of Delhi.

(II) "संघ राज्य क्षेत्र योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(II) Under "Grants for Union Territory Plan Schemes - Block Grants" - savings occurred under the following heads:-

(का) "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" - ₹61043.26 लाख की बचत (₹119273.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) शहरी

(A) "National Capital Territory of Delhi"- saving of ₹61043.26 lakhs (against the sanctioned provision

विकास मंत्रालय, आवास और गरीबी निवारण मंत्रालय और सूचना एवं प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण परियोजना के अंतर्गत कम निधियां जारी करने की सिफारिश किए जाने के कारण हुई।

(खा) “पुदुचेरी” - ₹10347.00 लाख की बचत (₹36956.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजनाओं का कम अनुमोदन किए जाने और आवास और गरीबी निवारण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत कम निधियां जारी करने की सिफारिश किए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें “योजनेतर अनुदान - योजनेतर घाटे को पूरा करने के लिए अनुदान - पुदुचेरी” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई - ₹7500.00 लाख का अधिक व्यय (₹49300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुदुचेरी में समुद्री तूफान “थाने” के पीड़ितों को अंतरिम राहत का भुगतान का निपटारा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ था।

of ₹119273.00 lakhs) was due to less recommendation for release of funds under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission Project by the Ministry of Urban Development, Ministry of Housing and Poverty Alleviation and Department of Information and Technology and Communication.

(B) “Puducherry”- saving of ₹10347.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹36956.00 lakhs) was due to less approval of projects and less recommendation for release of funds under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission by the Ministry of Housing and Poverty Alleviation, Ministry of Agriculture and Ministry of Water Resources.

2. The above savings were partly offset by excess under “Non-plan Grants - Grants to meet Non-Plan deficit - Puducherry”- excess of ₹7500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹49300.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to clear payment of Interim Relief to the cyclone ‘Thane’ victims in Puducherry.